उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

वैधता अवधि–02 वर्ष हेतु मान्य

संदर्भ संख्या F 32152 सी–5/एन0ओ0सी0–695/13 दिनांक 07-11-13

सेवा में,

मै0 गोबिन्द शुगर मिल्स लिमिटेड
ग्राम– खमरिया पंडित, पोस्ट– ऐरा स्टेट
लखीमपुर खीरी।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2013 का संदर्भ लें। उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है।

1 अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थलः मै0 गोबिन्द शुगर मिल्स लिमिटेड
ग्राम– खमरिया पंडित, पोस्ट– ऐरा स्टेट
लखीमपुर खीरी।

(ख) उत्पादनः 7200 टीसीडी से 10000 टीसीडी शुगर व
9.7 से 39.7 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लान्ट

(2)

(ग) मुख्य कच्चे मालः गन्ना– 10000 टीपीडी व 1354 टीपीडी बैगास

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्राः शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधनः बैगास 1350 टीपीडी सीजन में
बैगास 1040 टीपीडी आफ सीजन में।

उपर्युक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

2. उद्योग-मे सभी आवश्यक यत्र, सयत्र हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र एस0टी0पी0 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन विस्तारीकरण तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।
5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 12 किलोलीटर प्रतिदिन से अधिक नही होगी, को एस.टी.पी. के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 31.12.2013 तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
7. उद्योग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
8. उद्योग विस्तारीकृत क्षमता के संचालन से पूर्व बोर्ड से जल/वायु सहमति लेना सुनिश्चित करें तथा जल/वायु शुद्धिकरण व्यवस्था का इस प्रकार से संचालन करें जिससे आस–पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे।
9. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के पश्चात निस्तारित उत्प्रवाह को पूर्ण रूपेण रिसायकिल/कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाये। उत्प्रवाह निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर कदापि न किया जाये।
10. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही विस्तारीकरण से सम्बिन्धित निर्माण कार्य किया जाये।
11. उद्योग परिसर में 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाये।
12. उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

(3)

13. ईंधन के रूप में बैगास का प्रयोग किया जाये अन्य ईंधन प्रयोग करने की दशा में बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की जाये।
14. घरेलू जल–मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का एस.टी.पी. लगाना सुनिश्चित करें।
15. पर्यारण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों का समुचित अनुपालन किया जाये।
16. राख का सुरक्षित भण्डारण एवं निस्तारण हेतु प्रस्ताव एक माह में प्रेषित किया जाये।

उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख मात्र) बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.12.2013 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(सर्किल–5)

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड
Khand गोमतीनगर, लखनऊ–२२६०१०
दूरभाष २७२०८३१, २७२०८२८, २७२०६९१, २७२०६८१
फैक्स ०५२२–२७२०७६४
ई–मेल– info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B–Block, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com